

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1010] No. 1010] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2017/चैत्र 20, 1939

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2017/CHAITRA 20, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2017

का.आ. 1136(अ).—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (i) और धारा 5 की उपधारा (i) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 187(अ), तारीख, 19 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना का, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव करती है और उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उसके प्रभावित होने की संभावना है, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन के प्रस्ताव पर, उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, दो मास की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे किसी आक्षेप और सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन से उपरोक्त नियत समय-सीमा के भीतर प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप और सुझाव, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप अधिसूचना

उक्त अधिसूचना की, अनुसूची, के भाग II के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात्:-

"भाग – 2

क्र. सं.	कर्मचारियों के प्रवर्ग	जनवरी-जून, 2016 के लिए, प्रत्येक अंक की वृद्धि के लिए या 271 से आगे परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर जिसे औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (मूल वर्ष 2001=100) है	
		जमीन के ऊपर	जमीन के नीचे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अकुशल	1.29	1.61
2.	अर्ध-कुशल/अकुशल-पर्यवेक्षीय	1.61	1.93
3.	कुशल और लिपिकीय	1.93	2.25

2238 GI/2017 (1)

4.	अत्यधिक कुशल	2.25	2.52"

[फा. सं. एस-32017/1/2016-डब्ल्यू.सी. (एम.डब्ल्यू.)] के. एम. गुप्ता, प्रधान श्रम और नियोजन सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2017

S.O. 1136(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of section 4 and clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby proposes to make the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 187(E), dated the 19th January, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such amendment and notice is hereby given to all persons likely to be affected thereby that the said amendment proposal shall be taken into consideration after expiry of two months from the date on which copies of the Gazette containing this notification, are made available to the public;

Any objection or suggestion, which may be received from any person or organisation with respect to the said draft notification within the time frame stipulated above, shall be considered by the Central Government;

The objections and suggestions shall be addressed to the Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

Draft Notification

In the said notification, in the Schedule, for Part- II, the following part shall be substituted:

"PART-II

Serial Number	Categories of employees	Rate of Variable Dearness Allowance for every point rise or fall beyond 271, which is the average monthly Consumer Price Index Number for industrial workers (Base year 2001=100), for the period January-June, 2016.	
		Above Ground	Below Ground
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Unskilled	1.29	1.61
2.	Semi-skilled/ Unskilled- Supervisory	1.61	1.93
3.	Skilled and Clerical	1.93	2.25
4.	Highly Skilled	2.25	2.52"

[F. No. S-32017/1/2016-WC (MW)]

K. M. GUPTA, Principal Labour and Employment Adviser